न्यायालय उपखण्ड अधिकारी (SDO) चौहटन, जिला बाड़मेर

क्रमांक/भू.अ./2024/ 3315 दिनांक 21/11/24

प्रार्थीगण:-

1.हुसैन पुत्र मामद
2.सुलेमान पुत्र इसा
जाति मुसलमान, निवासी चौहटन,
तहसील चौहटन, जिला बाड़मेर

विप्रार्थीगण:-

1.गौतमचन्द पुत्र बंशीधर, जाति जैन,
2.स्वरूपसिंह 3.रूपसिंह पि.उम्मेदसिंह
जात राजपूत, निवासी चौहटन, तहसील चौहटन,
4.तहसीलदार चौहटन

प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 111,128 राज.भू.राजस्व अधिनियम
वास्ते करने नेखमबंदी बाबत |

राजस्व आवेदन सं. 172/2024 दिनांक : 20.11.2024

आदेश

तहसीलदार चौहटन को भेजकर लेख है कि उपरोक्त प्रकरण में तहसील चौहटन, पटवार क्षेत्र चौहटन के मौजा चौहटन के खेत खसरा सं. 1163/642 रकबा 37.10 बीघा भूमि के चारों तरफ पक्के नेखम स्थापित करने हेतु आपको कमिशनर नियुक्त किया जाता है| उक्त विवादित भूमी की नेखमबंदी/पेमाईश आप अपने स्तर पर किसी सक्षम न्यायालय का स्थगन आदेश न हो तो दोनों पक्षों के रूबरू मुस्तकिल/स्थाई बिन्दु को आधार मानकर विधिसम्मत तरीके से उपरोक्त भूमी की नेखमबंदी कर पालना रिपोर्ट 15 दिवस में अवश्य पेश करे|

आवश्यकता होने पर सम्बन्धित पुलिस थाना से पुलिस इमदाद हेतु अधिकृत किया जाता है | प्रार्थी कमिशनर को कमिशनर फीश रुपये 500/- मौके पर अदा करेंगे |

उपखण्ड अधिकारी (SDO) चौहटन
उपखण्ड अधिकारी
चौहटन

क्रमांक/भू.अ./2024/ 3316-19 दिनांक 21/11/24

प्रतिलिपि :-

1. तहसीलदार चौहटन
2. प्रार्थीगण हुसैन वगैरा
3. विप्रार्थीगण गौतमचंद वगैरा
4. थानाधिकारी पुलिस थाना चौहटन/[illegible]

Signature Not Verified
Digitally signed by Kusumlata Chouhan
Date: 2024.12.17 18:37:27 IST
Reason: SelfAttested

(कुसुमलता चौहान)
उपखण्ड अधिकारी (SDO) चौहटन
उपखण्ड अधिकारी
चौहटन